झारखण्ड सरकार

कार्यालय – वन प्रंमडल पदाधिकारी, हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमंडल, वन भवन, हजारीबाग

☎ 06546-222339, Fax no.06546-222339, Email- dfohazwest@jharkhandmail.gov.in

पत्रांक :– 4060 दिनांक :– 26/7/18

सेवा में,

Chief Project Manager,
Dedicated Freight Corridor Corporation of India Limited,
18/N Ground Floor, Block – A, New Alipor,
Kolkata, West Bengal – 700053

विषय :– डेडीकेटेट फ्रेट कोरीडोर द्वारा दानकुनी पश्चिम बंगाल से सोननगर सेक्शन निर्माण पूर्वी डेडीकेटेट फ्रेट कोरीडोर के तहत कोडरमा Detour (PPP Mode) से हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमंडल– 121.306 हे0 वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव के संबंध में।

प्रसंगः– आपका पत्रांक KKK/EN/ Forest / Hazaribagh/173/2313 दिनांक 06.07.2018 ।

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रासंगिक पत्र द्वारा विषयगत प्रस्ताव में उठाये गये त्रुटियों का निराकरण कर अनुपालन प्रतिवेदन यथा संशोधित प्रस्ताव ऑन लाईन दिनांक 06.07.2018 को समर्पित किया गया है तथा ऑफलाईन संशोधित प्रस्ताव (Hard Copy) दिनांक 7.06.2018 को 1(एक) प्रति एवं दिनांक 17.06.2018 को 7(सात) प्रति समर्पित किया गया है।

समर्पित प्रस्ताव संख्या FP/ JH/ RAIL/ 18720/ 2016 के अवलोकनोपरान्त एवं जांचोपरान्त पुनः निम्नलिखित त्रुटियां पाई गई जो निम्नवत हैं :–

(1) प्रस्ताव के साथ समर्पित मौजा नरैना थाना बरकठा थाना नं0 26 का संलग्न लैण्ड सिडुल एवं नक्शा में प्रस्तावित प्लॉट के अनुसार प्लॉट नं0 में भिन्नता है।

(2) मौजा फुलवरीया थाना चौपारण थाना नं0 227 के प्लौट सं0 1104 नदी है, जो वन भूमि नहीं है। संलग्न नक्शा एवं लैण्ड सिडुल में वन भूमि में प्रस्तावित है। उसे सुधार नहीं किया गया है।

(3) आपके द्वारा समर्पित भूमि की विवरणी अनुलग्नक IIIA में कुल रकवा 121.306 हे0 दर्शाया गया है, तथा अनुलग्नक IIIE में कुल रकवा 121.229 हे0 दर्शाया गया है। जिसमें 0.077 हे0 का अन्तर आता है।

(4) **अनुलग्नक–10** (Certificate for minimum use of forest land) में कुल रकवा 121.229 हे0 दर्शाया गया है। जबकि आपके द्वारा पुनः संशोधित प्रस्ताव समर्पित के अनुसार 121.306 हे0 होना चाहिए।

(5) **अनुलग्नक–18** में उपायुक्त, हजारीबाग का ज्ञापांक 2142 दिनांक 07.09.2016 द्वारा मौजा नरैना एवं बरियौन में 0.311 एकड़ गैर मजरूआ जंगल–झाड़ी का NOC प्राप्त है। जबकि **अनुलग्नक–IIIA** में वन भूमि की विस्तृत विवरण जंगल झाडी का रकवा 1.060 एकड़ दशार्या गया है। साथ हीं अंचलाधिकारी द्वारा सत्यापन भूमि का विवरणी एवं आपके द्वारा अपयोजित होने वाली समर्पित भूमि की विवरणी में अन्तर है / साथ हीं संबंधित अंचलाधिकारी द्वारा प्रस्तावित वन भूमि + गैर वन भूमि का ग्रामवार, खसरावार सत्यापित विवरणी अपर समाहर्ता को अग्रसारित की प्रति संलग्न किया गया है, जबकि प्रयोक्ता अभिकरण के पक्ष में या वन प्रमण्डल के पक्ष में निर्गत पत्र संलग्न होना चाहिए। जिसका सुधार अनिवार्य है।

(6) **अनुलग्नक–19** में वनअधिकार अधिनियम 2006 से संबंधित मौजा चौबे, नरैना, बरानो, मसकेडीह, अलगडीहा एवं बरियौन में कुल रकवा 3.208 हे0 अम्बातरी, फुलवरिया 0.356 हे0 कुल 3.564 हे0 का प्रमाण पत्र प्राप्त है। कुल अपयोजित होने वाली वन भूमि 121.306 हे0, जिसमें अधिसूचित वन भूमि 120.876 जंगल–झाड़ी – 0.429 हे0 उक्त वन भूमि के संबंध में उपायुक्त द्वारा वन अधिकार अधिनियम 2006 (FRA) प्रमाण पत्र विहित प्रपत्र में निर्गत किया जाना है। आपके द्वारा समर्पित अभिलेख के अवलोकन से ज्ञात होता है कि आपने उपायुक्त के स्तर से वनाधिकार अधिनियम 2006 के तहत निर्गत प्रमाण पत्र विहित प्रपत्र में मात्र 3.564 हे0 का ही दिया गया है। अतः उक्त के आलोक में 117.742 हे0 वन भूमि का वनाधिकार अधिनियम 2006 के तहत उपायुक्त के स्तर से विहित प्रपत्र प्रमाण पत्र समर्पित किया जाना आवश्यक है। आपके द्वारा पूर्व में समर्पित प्रमाण–पत्र संबंधित अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत है , जो मान्य नहीं है।

अतः प्रस्ताव सभी 08 (आठ) प्रतियाँ इस पत्र के साथ संलग्न कर वापस किया जाता है। अनुरोध है कि उपरोक्त इंगित त्रुटियों का निराकरण कर इस कार्यालय के पत्रांक 2690 दिनांक 18.05.2016 द्वारा निर्गत पत्र के अनुरूप सिलसिलेवार तरीके से इस कार्यालय में समर्पित करने की कृपा की जाय, ताकि प्रस्ताव पर अतिशीघ्र अग्रेतर कार्रवाई की जा सके।

<u>अनुलग्नकः– यथोक्त।</u>

विश्वासभाजन,

25/3/18

वन प्रमण्डल पदाधिकारी
हजारीबाग पश्चिमी प्रमंडल